संख्या-180/2016/आर-3762/26-3-2016-4(358)/07 टी.सी.iv

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04-10-2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-8940/2016 मनीष राय व 03 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-29.08.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2153/स.क./शिक्षा-अ/लखनऊ, 2016-17, दिनांक-03.09.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-29.08.2016 के अनुपालन में याची छात्रों की वर्ष 2013-14 की ट्रान्जेक्शन फेल्योर के कारण दशमोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-2,03,100/-(रूपये दो लाख तीन हजार एक सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-180/2016/आर-3762(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उक्त याचिका संख्या-8940/2016 में पारित आदेश दिनांक-29.08.2016 के सम्बन्ध में सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in